न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष:– श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2452–दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20–06–2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 827/अपील/2012–13.

1–गंगाप्रसाद तनय भरत सोनी
2– अरूण कुमार पिता गोकुल प्रसाद सोनी
3– मुस0 कृष्णा बेवा गोकुल प्रसाद सोनी
समस्त निवासी ग्राम मझौली तहसील
मझौली जिला सीधी म0प्र0
4– आराधना पुत्री गोकुल प्रसाद सोनी पति प्रीतम सोनी
निवासी रामनगर तहसील रामनगर जिला सतना
5– रेखा पुत्री गोकुल प्रसाद सोनी
निवासी ग्राम मझौली तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0
6– सुधीन्द्र कुमार शुक्ला तनय स्व0 श्री रामकिशोर शुक्ला
निवासी ग्राम फड तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0
7– चन्द्रप्रताप सिंह तनय श्री हरिनाथ सिंह ग्राम कोटरो
तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0
8– राजेश मिश्रा तनय विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा
निवासी ग्राम ठोगा तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0

––––– आवेदकगण

विरूद्ध

1– छौनी पुत्री स्व0 सूर्यदीन कोरी पत्नी ललुआ साहू
निवासी ग्राम मझौली तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0
2– प्रभा पुत्री गोकुल सोनी पत्नी जवाहर लाल सोनी
निवासी ग्राम चितराव तहसील जयसिंह नगर
जिला शहडोल म0प्र0

3– गुडडी पुत्री गोकुल सोनी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद सोनी
निवासी ग्राम सज्जनपुर तहसील रामपुर बघेलान
जिला सतना म0प्र0

––– अनावेदकगण

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव , अभिभाषक, अनावेद क–1
श्री पी0 के0 तिवारी अभिभाषक अना0 क–2, 3

....

आदेश

(आज दिनांक 09/06/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–06–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 184 रकवा 0.237 है0 के भूमिस्वामी सूर्यदीन कोरी थे जो अपनी भूमि गणेश सिंह तनय ललउ सिंह गहरवार को दे दी थी, किन्तु नाम नामांतरण नही हो पाया था उन्होने उक्त भूमि को आवेदक कमांक–1 गंगा प्रसाद सोनी व 2 ता 5 एवं अनावेदक कमांक 2 व 3 के पिता गोकुल सोनी को 1983 में विकी की गई थी उक्त विकय पत्र के अनुसार सूर्यदीन कोरी की सहमति व गणेश सिंह की सहमति व हस्ताक्षर व कथन होने के बाद नामांतरण आदेश पंजी कमांक 10 दिनांक 24.8.1983 को कर दिया

गया तब से लगातार वर्ष 2010 तक गंगा प्रसाद सोनी व गोकुल प्रसाद सोनी के नाम राजस्व अभिलेख में नाम चला आता रहा। गोकुल प्रसाद सोनी की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम नामांतरण हो गया जो आवेदक कमांक 2 ता 5 व अनावेदक कमांक 2 एवं 3 है। पूर्व भूमिस्वामी सूर्यदीन कोरी के जीवनकाल में उक्त नामांतरण आदेश को चुनौती नहीं दी गई व गोकुल प्रसाद सोनी के मृत्यु के बाद वारिसाना नमांतरण को भी कोई चुनौती नहीं दी गई। सूर्यदीन की तथा कथित पुत्री छौनी जो कि दूसरी जाति ललुआ साहू के साथ पत्नी के रूप में रहने लगी। दूसरे के बहकावे में आकर अधीनस्थ न्यायालय में 27 वर्ष पश्चात नामांतरण आदेश 1983 के विरूद्व 2010 में अपील प्रस्तुत की जिस पर म्याद के बिन्दु पर दूसरे पक्ष को सुने बिना ही अपील स्वीकार की गई, जिससे व्यथित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 20.6.16 को खारिज की इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहसी में तर्क किया है कि भूमि खसरा नम्बर 184 रकवा 0.59 एकड़ यानी 0.237 है0 स्थित ग्राम मझौली अनावेदक कमांक–1 के पिता सूर्यदीन कोरी तनय रामकृष्ण कोरी की मृत्यु पश्चात वारिसान नामांतरण सूर्यदीन के नाम हुआ था। सूर्यदीन कोरी को पुत्र सन्तान नहीं थी, संतान के नाम पर उसके तीन पुत्रियां थी जिनका नाम छौनी जो अनावेदक कमांक 1 हे तथा दूसरी पुत्री छोहगी एवं तीसरी पुत्री बुटनी है। सूर्यदीन कोरी द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने जाति समाज से वहिष्कृत कर दिया गया था, जिससे छौनी का अपने पिता के जीवनकाल से ही उसके घर व समाज में आना जाना व उसकी संपत्ति से कोई वास्ता व संबंध नहीं रह गया था। सूर्यदीन की शेष दो पुत्रियां छोहगी एवं बुटनी अपने ससुराल में रहती है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा गया है कि सूर्यदीन कोरी अपनीनिजी आवश्यकता के लिये उक्त भूमि

को गणेश सिंह के नाम बिकी कर कब्जा दखल दे दिया गया था, किन्तु कुछ समय बाद गणेश सिंह पिता ललउ सिंह गहरवार को भी अपने घरेलू आवश्यकता हेतु रूपये की जरूरत हुई तब गणेश सिंह द्वारा सूर्यदीन की सहमति से उक्त भूमि को वर्ष 1983 में गंगा तनय भारत सोनी एवं गोकुल तनय भारत सोनी के नाम 95/–रूपये के अपंजीकृत विकी विलेख के आधार पर विकयकर दिया गया जिसका नामांतरण उक्त विकय विलेख के आधार पर सूर्यदीन कोरी की सहमति से नामांतरण पंजी कमांक 10 दिनांक 20.8,1983 को राजस्व निरीक्षक द्वारा गंगाप्रसाद व गोकुल प्रसाद सोनी के नाम नामांतरण कर दिया । तदनुसार राजस्व अभिलेख अद्यतन किया गया। अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहसी में लेख किया है कि उक्त भूमि के भूमिस्वामी आवेदक कमांक 1 द्वारा अपना 1/2 हिस्सा यानी 0.119 है0 रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा दिनांक 19.11.2010 को आवेदक कमांक 6 सुधीन्द्र कुमार शुक्ला को विकय कर कब्जा दखल दे दिया गया, जिसके आधार पर आवेदक कमाांक 6 के पक्ष में वर्ष 2011 को 1/2 भाग का नामांतरण स्वीकार किया गया व शेष 1/2 हिस्सा आवेदक कमांक 2 ता 5 व अनावेदक कमांक 2 व 3 द्वारा आवेदक कमांक 7 को रजिस्टर्ड बयनामां के माध्यम से विकय कर कब्जा दखल दे दिया गया जिसके आधार पर आवेदक कमांक 7 के नाम नामांतरण हो गया। आवेदक कमांक–6 द्वारा अपनी उक्त भूमि निगरानीकर्ता कमांक–8 के नाम रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 31.3.13 को बिकी कर कब्जा दखल दे दिया गया जिसके आधार पर निगरानीकर्ता कमांक 8 के नाम नामांतरण हो चुका है, और व निगरानीकर्ता कमांक 8 आज तक बतौर भूमिस्वामी काबिज है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में यह भी लेख किया है कि नामांतरण पंजी 10/81–82 में दिनांक 24.8.1983 को राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये नामांतरण आदेश के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी मझौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो अपील 27 वर्ष से म्याद बाहर थी उसमें अनुविभागीय अधिकारी मझौली द्वारा आदेश दिनांक 19.3.13 को

अन्तरिम आवेदन पत्र म्याद अधिनियम की धारा–5 पर उत्तरवादीगण को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया गया ओर म्यादी के बाहर प्रस्तुत अपील को म्याद के अन्दर ग्राहय किया गया किन्तु म्याद अधिनियम की धारा–5 को ग्राह्य किये जाने का कोई वैधानिक कारण दिये बिना समय सीमा के बाहर अपील को समय के अन्दर ग्राह्य किया जाकर राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 10/1981–82 में पारित आदेश दिनांक 24.8.1983 को निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी मझौली का आदेश दिनांक 19.3.13 एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 20.6.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदिका के पिता सूर्यदीन कोरी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि थी जिसे स्व0 सूर्यदीन कोरी द्वारा कभी भी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विकय नहीं किया गया था फिर भी राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली द्वारा आवेदकगण कमांक–1 गंगा प्रसाद एवं हल्का पटवारी से सांठ गांठ कर गलत तरीके से नामांतरण आदेश पारित किया गया है जबकि राजस्व निरीक्षक के समक्ष स्व0 सूर्यदीन कोरी द्वारा कभी भी भूमि बिकय करने की बात नहीं कही गई थी और ना ही किसी तरहका अपना कथन ही दिया गया है जिससे राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया नामांतरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश स्थिर रख जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी के सरल कमांक 10 पर पृविष्ट दिनांक

24.8.1983 पर नामांतरण सहमति के गणेश सिंह एवं सूर्यदीन कोरी के अंगुष्ठ निशान लगे हुये है और नामांतरण की सहमति दी गई है। नामांतरण पंजी पर इश्तहार दिनांक 24.7.1983 की प्रति भी चस्पा की गई है। राजस्व निरीक्षक /पटवारी द्वारा नामांतरण की विधि पूर्ण कार्यवाही की गई है जो निम्न प्रकार है :-

1- नामांतरण पंजी पर सूर्यदीन कोरी एवं गणेश सिंह के सहमति बावत अगुंष्ठ निशान लगे हुये है।

2- विधि अनुसार इश्तहार का प्रकाशन किया गया है जो पंजी पर चस्पा है।

3- इश्तहार के पीठ पर ग्रामीणों के वरिष्ठ व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं।

4- नामांतरण प्रमाणित करते समय उन्हें पढ़कर सुनाया गया है।

नामांतरण की कार्यवाही नियमानुसार पाये जाने पर भी अनुविभागीय अधिकारी मझौली द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली का आदेश दिनांक 24.8.1983 निरस्त करने में त्रुटि की गई है जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी अनदेखा किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 27 वर्ष विलंब का मांफ किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है जिस ओर अपर आयुक्त रीवा द्वारा ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है।

म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 एवं परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 अनुचित विलंब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। (स्टेट ऑफ एम0 पी0 विरूद्व रावजी राम 1995 (2) म0 प्र0 वी0 नोट 193 से अनुसरित)

परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 विलंब क्षमा किये जाने की मांग धारा 5 के आवेदन में की गई विलंब क्षमा किये जाने के समुचित कारण दर्शाये जाने में विफलता पाई गई। आवेदन स्वीकार नहीं (स्टेट ऑफ एम0 पी0 विरूद्व फकीर चंद 1980 (2) म0 प्र0 वी0 नोट 199 एवं एम0 पी0 स्टेट बनाम राम प्रकाश शर्मा 1989 जे0 एल0 जे0 36 एम0 पी0 से अनुसरित)

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मझोली का प्रकरण कमांक 56/अपील /2009-10 में पारित आदेश दिनांक 19.3.13 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 827/अपील/2013-20 14 में पारित आदेश

दिनांक 20.6.2016 निरस्त किये जाते है। परिणामस्वरूप नामांतरण पंजी क्रमांक–10 वर्ष 81–82 में पारित आदेश दिनांक 24.8.1983 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर